

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 19/01/16

अधिसूचना सं०-17/कोर्ट-42/2015 - 44 (17) / स्वा०, सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-14262/2015 में दिनांक-29.10.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में डा० अभिजीत कुमार झा, (PG From State Medical College) बाह्य (सामान्य कोटि) को सीनियर रेजिडेंट, चर्म एवं रति रोग विभाग के टेन्योर पद पर निम्नांकित शर्तों के अधीन पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

2. संबंधित चिकित्सक को वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे०-5400/- अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।
3. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत धारित पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं करेंगे/मान्य नहीं होगा।
4. संबंधित चिकित्सक अपने नवपदस्थापित स्थान पर तुरत (अधिकतम तीन दिन) अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लें।
5. योगदान के समय संबंधित महाविद्यालय अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक/सीनियर रेजिडेंट के लिए अहर्ता संबंधी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्रों की जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/कोर्ट-42/2015 - 44 (17)

पटना, दिनांक :- 19/01/16

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/डा० अभिजीत कुमार झा, S/O- श्री वीरेन्द्र कुमार झा, मो०-वाल्मी, वृन्दावन कॉलोनी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री वर्मा)/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17) स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-1,2 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।